(392)

(223)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल रीवा (म0प्र0)

1– लालता प्रसाद तनय स्व0 विशेषर प्रसाद यादव, उम्र 36 वर्ष, पेशा मजदूरी

2– रामाश्रय यादव तनय स्व0 विशेषर यादव

3– मुस0 नेबसुआ पत्नी स्व0 विशेषर प्रसाद

4– तीरथ प्रसाद तनय स्व0 बुद्धी यादव

5– मुस0 सुनीता देवी पत्नी स्व0 रामसिया यादव

सभी निवासी ग्राम कलवारी, पोस्ट कलवारी, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0) ------निगरानीकर्तागण

बनाम

बिहारीलाल यादव तनय स्व0 गरूड़ यादव, निवासी ग्राम व पोस्ट कलवारी, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

------गैरनिगराकार

विद्वान तहसीलदार, तहसील त्योंथर, सर्किल चाकघाट जिला रीवा द्वारा राजस्व प्रकरण क0–25ए–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 30/05/12 द्वारा सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

संक्षिप्त विवरण :–

विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण भूमि खसरा क0–186/1 रकवा 0.30 ए0 स्थित ग्राम कलवारी के भूमिस्वामी है । उक्त भूमि आवेदक के आवादी की भूमि है जिसमें आवेदकगण का पैत्रिक मकान बना है और दैनिक निस्तार होता है। आवेदक की उक्त भूमि से लगी हुई अनावेदक बिहारीलाल की भूमि खसरा क0–186/2 क्षेत्रफल 0.12 ए0 भूमि है । उक्त भूमि को आवेदक जोतते–बोते है आवेदक ने अपनी भूमि खसरा क0–186/1(क), 186/1(ख) कुल क्षेत्रफल 0.66 ए0 का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्र क्र निग/2475/~~एक~~ II/12 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/-3-2016	इस प्र क्र निग-२४७५/दो/१२ में पिछली ४ पेशोयों से, और उससे पहले भी विभिन्न पेशियों पर आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है. गत पेशी १५-३-१६ को अनावेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहते हुएँ कि सीमांकन सही हुआ है और आवेदक ने आवेदक द्वारा स्थल पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया है, आवेदक की लगातार अनुपस्थिति और इस कारण प्रकरण का निराकरण विलंबित होने से उन्हें कठिनाई होने के कारण निगरानी ख़ारिज करने का निवेदन किया. प्रकरण में अवस्थित पंचनामे आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदकों ने स्थल कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने के बावजूद हस्ताक्षर करने से इंकार किया है, और अब अनेक पेशियों से इस न्यायालय के समक्ष भी अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं. ऐसे में, इन आधारों पर और अनावेदक अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए, यह प्रकरण पर्याप्त आधार नहीं होने और आवेदकपक्ष की रूचि नहीं होने के कारण रा मं से ख़ारिज कर समाप्त किया जाता है. आदेश पारित. पक्षकार सूचित हों. अभिलेख वापस हो. प्रकरण समाप्त. दा द हो. **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	